

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

-: अधिसूचना :-

रॉची,
दिनांक :- 29-5-13

अधि.सं.-02/विविध(प्रतिनियुक्ति)-07-02/2013.....2907/ श्री देवेन्द्र कुमार सिन्हा
(आई.डी.-3261), प्राक्कलन पदाधिकारी, सुवर्णरेखा बॉध प्रमंडल सं.-02, चांडिल को
कार्यहित में पूर्णकालिक रूप से सहायक अभियंता, बॉध एवं गेट रूपांकण अंचल-01, जल
संसाधन विभाग, रॉची का कार्य करने हेतु अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

2907

रॉची, दिनांक :-

29-5-13

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा रॉची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के
अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय
अभिलेख हेतु विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

2907

रॉची, दिनांक :-

29-5-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ उप सचिव, वित्त
(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची/ माननीय सलाहकार, के आप्त
सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल
संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मंत्रिमंडल(निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/
विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल
संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/ सभी अवर
सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ संबंधित मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण
अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड/ संबंधित सभी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ संबंधित कोषागार
पदाधिकारी/ वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रशाखा
पदाधिकारी-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/ब, 7/यो., एवं 08ए, 08बी एवं 14 को सूचना
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र.)